

वर्ष 2018-2023 हेतु संसाधक अनुज्ञापत्र  
का निर्गमन (प्रपत्र - बी1)  
**ISSUE OF PROCESSORS'  
LICENCE (FORM-B1) FOR 2018-2023**  
अनुदेश एवं मार्गदर्शन  
INSTRUCTIONS & GUIDELINES

**1. आवेदन प्रपत्र Application form :** प्रपत्र बी-1 में आवेदन पूर्ण रूप से भरा जाए तथा विधिवत् हस्ताक्षर किया जाए। अपूर्ण एवं गलत आवेदन अस्वीकार किया जाएगा। The application in Form B-1 may be completely filled in and duly signed. Incomplete and incorrect application is liable to be rejected.

**2. अनुज्ञापत्र शुल्क Licence fee:** पाँच वर्ष की अवधि हेतु अनुज्ञापत्र के निर्गमन के लिए आवेदन के साथ 18% की दर पर ₹900/- सेवा कर मिलाकर 5900/-रु. (पांच हजार और नौ सौ मात्र) अनुज्ञापत्र शुल्क के रूप में प्रेषित किया जाना है (प्रतिवर्ष ₹1180/- की दर पर)। Licence fee of ₹5900/- (Rupees five thousand and nine hundred only) including GST of Rs.900/- @ 18% may be remitted along with the application for issue of licence for five years. (@ Rs.1180/- per annum)

**3. शाखा/खरीद डिपो/एकत्रण केन्द्र का पंजीकरण/ Registration of Branch/Purchase Depot/Collection Centre:** शाखा/खरीद डिपो/एकत्रण केन्द्र का अप्राधिकृत रूप से कार्य करना अनुमेय नहीं है। अगर आप अपनी शाखा/खरीद डिपो/एकत्रण केन्द्र का पंजीकरण पाँच वर्ष तक की अवधि हेतु करना चाहते हैं तो प्रति शाखा/खरीद डिपो/एकत्रण केन्द्र 18% की दर पर ₹180/- सेवा कर मिलाकर ₹1180/- की दर पर प्रोसेसिंग प्रभार का भी जमा करना चाहिए। (प्रतिशाखा ₹236/- की दर पर)। Unauthorised functioning of branch/purchase depot/collection centre is not permitted. If you wish to register your branch/purchase depot/collection centre for five-year period you may remit the processing fee of ₹1180/- (including GST of ₹180/- @ 18%) per branch/purchase depot/collection centre (@₹236/- per branch).

**4. अनुज्ञापत्र शुल्क एवं प्रोसेसिंग प्रभार जमा करने का तरीका Mode of Remittance of Licence Fee/ processing charges:** लाइसेंस शुल्क का ऑनलाइन मोड / पेमेंट गेटवे (रबड़ बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध लिंक) या डिमांड ड्राफ्ट द्वारा भुगतान किया जा सकता है। रकम रबड़ बोर्ड के अनुज्ञापन और उत्पाद शुल्क के सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, कोट्टयम (आईएफएससी कोड - सीबीआईएन 0284150) के खाता संख्या 3173717326 में एनईएफटी द्वारा भी प्रेषित की जा सकती है। The licence fee can be paid through online mode/payment gateways (Link available on Rubber Board website) or through demand draft, etc. Amount can also be remitted in Rubber Board's Licensing & Excise Duty Account No.3173717326 with Central Bank of India, Rubber Board, Kottayam (IFSC Code – CBIN0284150) through NEFT.

**5. मासिक विवरणियों की प्रस्तुति Submission of monthly returns:** समय पर प्रपत्र एच 3 एवं एल 1 में बोर्ड को मासिक विवरणियों की गैर प्रस्तुति रबड़ अधिनियम 1947 की धारा 20 (क) के साथ पठित रबड़ नियम 1955 के नियम 43(4) व नियम 43 का उल्लंघन है। अगर आपने किसी अवधि की

अपेक्षित मासिक विवरणियाँ सचिव, रबड़ बोर्ड, कोट्टयम-2 को प्रस्तुत नहीं की हैं तो उन्हें तुरंत भेज दें। इसके साथ संलग्न विहित प्रपत्र में आवेदन के साथ मासिक विवरणियों की अद्यतन प्रस्तुति के संबंध में एक घोषणा भी प्रस्तुत किया जाना चाहिए। Non-submission of monthly returns in time and in forms H3 & L1 to the Board is a violation of Rule 43(4) and Rule 43 A of the Rubber Rules, 1955 read with Section 20 (a) of the Rubber Act, 1947. In case you have not submitted the requisite monthly returns to the Secretary, Rubber Board, Kottayam-2 for any period, the same may be sent to him immediately. **A declaration regarding the submission of upto date returns may also be furnished along with the application for licence in the prescribed form attached herewith.**

6. कृपया भारतीय मानक ब्यूरो के विनिर्देशों के अनुसार रबड़ के श्रेणीकरण और विपणन के संबंध में एक घोषणा भी प्रस्तुत करें। Please also furnish a **declaration** with regard to grading and marketing of rubber as prescribed by the Bureau of Indian Standards.

7. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी वैध सहमति पत्र की एक प्रतिलिपि तथा स्थानीय निकाय द्वारा जारी लाइसेंस की एक प्रतिलिपि भी संलग्न करें। Also attach a copy each of Valid Consent letter issued by the **Pollution Control Board** and a licence issued by the **local authority**.

8. आपके कार्यालय/फैक्टरी के और आपके आवास के टेलिफोन तथा फैक्स नंबर एवं ई मेल पता हमारे रिकॉर्ड के लिए नवीकरण आवेदन के अग्रोषण पत्र के साथ प्रस्तुत करें।

Please furnish the **telephone and fax numbers** of your office/factory and that of your residence and **e-mail** for our records in the forwarding letter of your renewal application.

भरा गया आवेदन, अनुज्ञापत्र शुल्क, प्रोसेसिंग प्रभार, विवरणियों की प्रस्तुति एवं रबड़ के श्रेणीकरण और विपणन आदि पर घोषणा रजिस्ट्री डाक द्वारा भेजे या व्यक्तिगत रूप से पहुँचाए ताकि उप निदेशक (अनुज्ञापन), रबड़ बोर्ड, अनुज्ञापन प्रभाग, मुख्यालय, कोट्टयम - 686002 को दिनांक 31 जनवरी 2018 या उससे पूर्व प्राप्त हो जाएं।

The filled in application, licence fee/processing charges, declaration regarding submission of returns and grading and marketing of rubber etc., may be sent by registered post or delivered in person so as to reach the **Deputy Director (Licensing), Rubber Board, Licensing Division, Head Office, Kottayam - 686002** on or before **31<sup>st</sup> January 2018**.

रबड़ बेचने या अन्य तरह से निपटाने तथा खरीदने या अन्य तरह से अर्जित करने के इच्छुक सभी व्यक्तियों को रबड़ बोर्ड द्वारा जारी वैध लाइसेंस रखना चाहिए; अन्यथा वे रबड़ अधिनियम 1947 के प्रावधानों के अनुसार कारावास या जुर्माना या दोनों से दंडनीय होंगे। अतः वर्तमान लाइसेंस की वैधता अवधि समाप्त होने से पूर्व अपना लाइसेंस निर्गमित करना कृपया सुनिश्चित करें। आवेदन का देरी से प्रस्तुत करना या अपूर्ण आवेदन लाइसेंस जारी करना विलंबित करेगा जिसके लिए किसी भी प्रकार से बोर्ड जिम्मेदार नहीं रहेगा। बोर्ड द्वारा मांगी गयी सभी औपचारिकताएं पूरा करने पर एक संभावित तिथि पर ही लाइसेंस निर्गमित किया जाएगा।

Every person who wants to acquire rubber for processing and for selling rubber so acquired should possess a valid licence issued by the Rubber Board; otherwise he shall be punishable with imprisonment or with fine or with both as per the provision of Rubber Act 1947. So please ensure that your licence is issued before expiry of validity period of the present licence. Belated filing of application or incomplete application is likely to delay the issue of licence, for which the Board will in no way be held responsible. The licence will be issued only on prospective date after satisfying all formalities as demanded by the Board.

## घोषणा DECLARATION

1. मैं/हम एतद्द्वारा घोषणा करता हूँ/करते हैं कि मैं ने/ हमने प्रपत्र एच 2 तथा एल में सचिव रबड़ बोर्ड, कोट्टयम-2 को ..... महीने तक की मासिक विवरणियाँ प्रस्तुत की है। ..... महीने तक की लंबित विवरणियाँ इसके साथ संलग्न हैं। (नवीनीकरण आवेदन प्रपत्र की प्रस्तुति के पूर्व के महीने तक की लंबित विवरणियाँ अगर हो तो संलग्न करें)

I/We do hereby declare that I/We have submitted monthly returns in forms H2 & L to the Secretary, Rubber Board, Kottayam – 2 upto the month of  The pending returns for the month upto .....are attached herewith. (Attach the returns pending, if any, till to the preceding month of submission of renewal application form.)

स्थान Place:

दिनांक Date:

व्यवस्थापक/भागीदार/निदेशक का हस्ताक्षर

Signature of the Prop./Partner/Director

मोबाइल नं. Mobile No.....